ग्यारहवाँ प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)
और
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

(21.9.2020 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सितंबर, 2020/ भाद्रपद, 1942 (शक)

सीपीबी सं 1 खंड XI

मूल्य : रू._____

© 2020 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली-110002, द्वारा मुद्रित।

विषय-वस्तु

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन..... (iii)

प्राक्कथन..... (v)

प्रतिवेदन

श्री अरविंद सावंत, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा एमटीएनएल से समय-पूर्व त्यागपत्र देने और अन्य संबन्धित मुद्दों की समीक्षा के अनुरोध संबंधी अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोकसभा) द्वारा उनकी चौसठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई। **1**

अनुबंध

(एक) समिति की 07.08.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश **18**

(दो) समिति की 17.08.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश **20**

(तीन) समिति की 16.09.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश **24**

याचिका समिति का गठन

(2019-20)

डॉ वीरेंद्र कुमार - अध्यक्ष

सदस्य

2. श्री एंटो एंटनी
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री हरीश द्विवेदी
5. श्री पी. रवीन्द्रनाथ कुमार
6. श्री पी॰के॰ कुन्हालकुट्टी
7. डॉ सुकांता मजूमदार
8. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
9. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
10. डॉ भारती प्रवीण पवार
11. श्री वी श्रीनिवास प्रसाद
12. श्री बृजेंद्र सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
15. श्री राजन विचारे

सचिवालय

1. श्री टी॰जी॰ चंद्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
3. श्री जी॰ सी॰ डोभाल - अपर निदेशक
4. श्री हरीश कुमार सेठी - कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन
(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर श्री अरविंद सावंत, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा एमटीएनएल से समय-पूर्व त्यागपत्र देने और अन्य संबन्धित मुद्दों की समीक्षा के अनुरोध संबंधी अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोकसभा) द्वारा उनकी चौसठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी समिति का यह ग्यारहवाँ प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 16.09.2020 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप ग्यारहवाँ की गई कार्रवाई प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. उपरोक्त मामले में समिति की टिप्पणियों/सिफ़ारिशों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

नई दिल्ली;
16 सितंबर, 2020
25 भाद्रपद, 1942 (शक)

डॉ॰ वीरेंद्र कुमार,
सभापति,
याचिका समिति।

<u>प्रतिवेदन</u>

श्री अरविंद सावंत, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा एमटीएनएल से समय-पूर्व त्यागपत्र देने और अन्य संबन्धित मुद्दों की समीक्षा के अनुरोध संबंधी अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोकसभा) द्वारा उनकी चौसठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

याचिका समिति (सोलहवीं लोकसभा) ने श्री अरविंद सावंत, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा एमटीएनएल से समय-पूर्व त्यागपत्र देने और अन्य संबन्धित मुद्दों की समीक्षा के अनुरोध संबंधी अभ्यावेदन पर *11-2-2019* को लोकसभा में अपना चौसठवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

2. समिति ने इस मामले में कुछ टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं और संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) को सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा गया था और समिति के आगे विचार करने के लिए वहां अपनी कार्रवाई के जवाब प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

3. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) से उपरोक्त प्रतिवेदन में निहित सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई के उत्तर प्राप्त हुए हैं।

4. समिति द्वारा की गई सिफारिशों और संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को निम्न अनुछेदों में विस्तृत किया गया है।

5. प्रतिवेदन के *29, 30, 31, 32, 33, 34* और *35* अनुछेदों में समिति ने इस प्रकार टिप्पनियाँ/सिफारिश की थी:-

"*समिति ने ध्यान दिया कि श्री अरविंद सावंत ने 19 वर्ष 10 महीने और 24 दिन की सेवा पूरी करने के बाद महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुंबई में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर जेटीओ के रूप में काम करते हुए 31.01.1996 को अपना त्यागपत्र देकर महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य का पद ग्रहण कर लिया। उस समय उन्होंने अर्हता सेवा के 20 वर्ष पूरे नहीं किए थे, जो सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48-ए के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्त थी।*

समिति ने यह भी नोट किया कि श्री सावंत का बिना शर्त त्यागपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और तदनुसार उनका नाम सरकारी सेवा/मुंबई टेलीफोन से 31-01-1996 से हटा दिया गया था। सरकारी सेवा में अपने ग्रहणाधिकार को बनाए रखने के लिए श्री सावंत के अनुरोध को दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने नोडल मंत्रालय यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के परामर्श से स्वीकार नहीं किया था। श्री सावंत के त्यागपत्र की पुष्टि भी डीओटी ने की थी, क्योंकि त्यागपत्रदेकर एमएलसी का पद ग्रहण करने से सरकार के अधीन सेवा लेने की गिनती नहीं होती है और इसलिए श्री सावंत द्वारा दिए गए त्यागपत्र को तकनीकी त्यागपत्र नहीं माना जा सकता। केन्द्र सरकार में रोजगार लेने के लिए तकनीकी त्यागपत्र के मामलों को छोड़कर त्यागपत्र देकर सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 के अनुसार पेंशन लाभों के लिए पिछली सेवा जब्त कर ली गई है। तत्काल मामले में श्री सावंत ने अपने त्यागपत्रके परिणामों को जानकर त्यागपत्रदे दिया। उन्होंने न तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सूचना प्रस्तुत किया और न ही अपने त्यागपत्र की स्वीकृति से पहले अपने त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) में बदलने का कोई संदर्भ प्रस्तुत किया।

समिति ने डीओपीटी द्वारा दिए गए निवेदनों से आगे नोट किया जिसने इस मामले की भी जांच की और यह माना कि श्री सावंत के मामले में लगभग 21 वर्षों के बाद उनके त्यागपत्र के आदेश को रद्द करने और इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में इस आधार पर परिवर्तित करने के संबंध में है कि श्री सावंत को उनकी सेवा के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी, मौजूदा नियमों के साथ आदेश में नहीं है और इसलिए, आवेदक के अपने त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में बदलने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इससे प्रशासनिक कानून/नियम गड़बड़ा सकते हैं और इससे भारत सरकार के नियमों/नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में अव्यवस्था पैदा हो सकती है।

समिति का यह भी मानना है कि भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री अनंत कुमार गीते के संदर्भ के आधार पर दूरसंचार विभाग ने श्री अरविंद सावंत के त्यागपत्रको 20 साल की सेवा पूरी होने पर स्वेछानिवृतिमें बदलने और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48-ए के तहत स्वेछानिवृतिदेने के मानकों में ढील देने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन एवं पेंशन विभाग (पेंशन एवं पेंशन विभाग कल्याण) को एक प्रस्ताव भेजा था। हालांकि, श्री अरविंद सावंत द्वारा अपने त्यागपत्रको स्वेछानिवृतिमें बदलने के अनुरोध को मामले की समीक्षा करने के बाद, राज्य मंत्री (कॉम) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और संबंधित वीआईपी संदर्भ का निपटारा 14-07-2017 को किया गया था।

समिति ने दूरसंचार विभाग के डीडीजी (कार्मिक) को संबोधित महाप्रबंधक के दिनांक 20-2-1996 के पत्र से आगे कहा, जिसमें यह कहा गया था कि चूंकि इस तरह की कोई पूर्व घटना नहीं थी, इसलिए एमटीएनएल ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया था कि अधिकारी का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं किया

गया था बल्कि वास्तव में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित किया गया था और साथ ही संघ के पदाधिकारियों के मामले में विदेश सेवा में होने की संभावना का पता लगाने के लिए भी विभाग के साथ अपना लीयन बनाए रखने के लिए प्रार्थना की गई थी।

समिति ने दूरसंचार विभाग के निदेशक (स्टाफ) को संबोधित वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक) के दिनांक 23-9-2010 *के पत्र का भी अवलोकन किया, जिसमें श्री अरविंद सावंत द्वारा प्रदान की गई कुल सेवा की कुल अवधि यानी* 19 *वर्ष*, 10 *महीने और* 24 *दिन की अवधि को* 20 *वर्षों के रूप में पूर्णाहूत कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उसे सीसीएस (पेंशन) नियम* , 1972 *के तहत पेंशन के भुगतान के लिए पात्र बनाने के लिए एक बार फिर से मामले की अनुकूल जांच करने का अनुरोध किया गया था दूरसंचार विभाग ने महाप्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक के उपरोक्त पत्र में किए गए कथनों पर विचार नहीं किया था।*

घटनाओं के उपर्युक्त अनुक्रम और यह तथ्य भी कि श्री अरविंद सावंत, संसद सदस्य ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था और उन्हें महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल द्वारा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए नामित किया गया था जो हमेशा एमटीएनएल के लिए विशिष्ट गौरव के विषय के रूप में रहेगा, समिति संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से आग्रह करती है कि , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) श्री अरविंद सावंत के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए उनके त्यागपत्रको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के रूप में मानने और उन्हें सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में लागू पेंशन के आहर्ण सहित सभी परिणामी लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देने पर विचार करे।। इस उद्देश्य के लिए, पेंशन के पात्र होने के लिए अर्हता सेवा में कमी को उचित दोषमार्जन के लिए, एक विशेष मामले के रूप में, विचार

किया जा सकता और जिसे एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए। समिति इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर की गई निर्णायक कार्रवाई से अवगत कराना चाहेगी।"

6. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने अपनी कार्रवाई के उत्तर इस प्रकार प्रस्तुत किए है:-

"एमटीएनएल के 20.02.1996 के पत्र का जवाब दूरसंचार विभाग द्वारा नोडल मंत्रालय यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के साथ आवश्यक परामर्श करने के बाद 25.07.1996 के पत्र के माध्यम से दिया गया था। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 25.07.1996 के अपने पत्र में कहा था कि कोई व्यक्ति विधायक के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी भी नहीं हो सकता है और उसने कहा कि एमटीएनएल द्वारा स्वीकार किए गए श्री सावंत का त्यागपत्र निमयमानुकूल था। आगे कहा गया कि श्री सावंत के लीयन को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र संख्या 6-5/96-एनसीजी दिनांक 28.01.2000 के माध्यम से एमटीएनएल के सीएमडी को पहले के निर्णय को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि मौजूदा प्रावधान में श्री सावंत के कार्यकाल को एमएलसी के रूप में विदेश सेवा मानने का प्रावधान नहीं है और बताया गया है कि इसके लिए अनुरोध पर सहमति नहीं बन सकती।

जहां तक दूरसंचार विभाग के निदेशक (स्टाफ) को संबोधित वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक) के दिनांक 23.9.2010 के पत्र का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि एमटीएनएल के उपर्युक्त पत्र दिनांक 23.09.2010 को सीसीएस (पेंशन)

नियमों के नियम 26 (1) के तहत त्यागपत्रको दोहराते हुए पिछली सेवाओं को जब्त करने पर जोर दिया गया था।

लोकसभा की याचिका समिति की सिफारिशें मिलने पर दूरसंचार विभाग में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के परामर्श से इस मामले की फिर से जांच की गई है। यह कहा गया है कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 (4) में त्यागपत्र वापस लेने का प्रावधान है, बशर्ते कि जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हो गया और जिस तारीख को व्यक्ति को त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति के परिणामस्वरूप ड्यूटी फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाती है, उसके बीच ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि नब्बे दिनों से अधिक नहीं है। डीओपीटी ओएम नंबर 28035/2/2007- Estt. (A) दिनांक 04-12-2007 के संदर्भ में, मामले पर असाधारण परिस्थितियों में 90 दिनों के बाद ही विचार किया जा सकता है, यदि समय सीमा केवल बहुत मामूली रूप से अधिक हो जाती है। यह भी कहा गया है कि नियम 26 और डीओपीटी द्वारा त्यागपत्रपर जारी निर्देशों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए दिए गए त्यागपत्रको बदलने का प्रावधान नहीं है।

अर्हता सेवा के 20 *वर्ष पूरे होने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीसीएस (पेंशन) नियम*, 1972 *के नियम* 48*ए के प्रावधानों के अनुसार, अर्हता सेवा के बीस वर्ष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले पर विचार करने के लिए पूर्व-अपेक्षित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि तत्कालीन जेटीओ, एमटीएनएल मुंबई के श्री अरविंद सावंत की सेवा पुस्तिका/अभिलेखों के अनुसार उनके त्यागपत्र की प्रभावी तिथि [अर्थात* 31-01-1996] *को सेवा की अवधि दी गई है।*

(एक) पूर्व नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि 08.03.1976 से 04.11.1976- कुल: 07 महीने और 28 दिन (**)।

(*दो*) *सेवा अवधि* 01.02.1977 *से* 31.01.1996 - *कुल* 19 *वर्ष*

[***व्यवधान अर्थात प्रशिक्षण और वास्तविक नियुक्ति के पूरा होने के बीच देरी यानी* 05.11.1976 *से* 31.01.1977 *कुल:* 02 *महीने और* 27 *दिन माफ़ कर दिया जाता है क्योंकि वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति का था, जिसके परिणामस्वरूप सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम* 22 *के नियम* 22 *के संदर्भ में अर्हता प्राप्त सेवा के रूप में नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण अवधि की गणना भारत सरकार के निर्णय के साथ पढ़ी गई (निर्णय संख्या* 36-14/88-*एनबी/टी/पेन, दिनांक* 25.06.1990)]*/ व्यवधान अवधि की गणना के संबंध में नियमों/निर्देशों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है अर्थात प्रशिक्षण और नियुक्ति के पूरा होने की तारीख के बीच की अवधि, भले ही प्रशासनिक विलंब के कारण व्यवधान को माफ कर दिया जाए।*

इसलिए श्री अरविंद सावंत की सेवा की अवधि 19 *वर्ष* 07 *महीने और* 28 *दिन थी, जो उनके त्यागपत्र (अर्थात* 31-01.1996) *की तारीख को* 20 *वर्ष से कम थी, यहां तक कि श्री सावंत के नियुक्ति आदेश जारी करने में देरी के कारण हुई रुकावट का पता नहीं चला। तदनुसार, श्री अरविंद सावंत द्वारा दिए गए त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में परिवर्तित करना और उन्हें पेंशन लाभ प्रदान करना संभव नहीं है।"*

7. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग) ने अपनी कार्रवाई में उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

"दूरसंचार विभाग (डीओटी) के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री अनंत कुमार गीते के संदर्भ के आधार पर श्री अरविंद सावंत के त्यागपत्रको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में बदलने के लिए दिनांक 08.05.2017 के अपने नोट के

माध्यम से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया था और यह देखा गया था कि त्यागपत्र और सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा ध्यान दिया जाता है। इसलिए, डीओटी को 28/02/2017-पीएंडडब्ल्यू (बी) दिनांक 24-05-2017 के तहत उपरोक्त मामले में डीओपीटी से परामर्श करने की सलाह दी गई थी। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को इस संबंध में दूरसंचार विभाग या डीओपीटी से कोई और पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

सेवा से त्यागपत्र और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले डीओपीटी के दायरे में आते हैं। श्री अरविंद सावंत के त्यागपत्रको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मानने की समिति की सिफारिश पर निर्णय दूरसंचार विभाग/विभाग और डीओपीटी द्वारा लिया जाना आवश्यक है। यदि डीओटी/डीओपीटी श्री अरविंद सावंत द्वारा दिए गए त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मानने का निर्णय लेते हैं, तो श्री सावंत सीसीएस (पेंशन) नियमों, 1972 के नियम 49 के अनुसार पेंशन प्रदान करने के लिए पात्र होंगे।"

8. उपर्युक्त कार्रवाई के उत्तरों पर, याचिका समिति ने 7 अगस्त, 2020 को हुई बैठक में संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) और (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधियों को पुनः मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाने का निर्णय लिया।

9. श्री अरविंद सावंत, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा एमटीएनएल से समय-पूर्व त्यागपत्र देने और अन्य संबन्धित मुद्दों की समीक्षा के अनुरोध संबंधी अभ्यावेदन पर संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) और (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति की 17 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में पुनः साक्ष्य लिया गया।

10. श्री अरविंद सावंत तत्कालीन जेटीओ, एमटीएनएल मुंबई द्वारा दिए गए 'त्यागपत्र' को पेंशन के आहरण के लिए पात्र होने के लिए 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' में बदलने के हर पहलू पर संबंधित मंत्रालयों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने 3 सितंबर, 2020 को अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है कि नोडल मंत्रालय होने के नाते इस मामले की डीओपीटी के परामर्श से पुन जांच की गई है। संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने भी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, जो इस प्रकार है:-

(एक) नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमे त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में बदलने का प्रावधान हो।

(दो) सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 में त्यागपत्र देने की प्रस्तिथि में पिछली सेवा को जब्त करने का प्रावधान है।

(तीन) एक बार जब त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है और सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है, तो सीसीएस (पेंशन) नियमों, 1972 के नियम 26 (4) के तहत 90 दिनों या मामूली रूप से अधिक दिनों की अवधि के भीतर त्यागपत्र वापस लेने की भी अनुमति है।

(चार) सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा छोडने के बाद यदि एक बार त्यागपत्र अंतिम हो जाता है तो सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा जब्त हो जाती है और इस्तीफे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में बदलने का प्रश्न तब भी नहीं उठता, भले ही सरकारी कर्मचारी ने 20 वर्ष से अधिक की अर्हता प्राप्त की हो।

(पाँच) यदि किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष से अधिक अर्हता प्राप्त सेवा प्रदान की है तो सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनना होगा। एक बार इस्तीफे का विकल्प चुनने के बाद, इस तरह की कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी नियम के अभाव में बाद में इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम घनश्याम चंद शर्मा के हालिया मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ फैसला सुनाया है कि ".. यहां तक कि अगर पहले प्रतिवादी बीस साल की सेवा की थी, सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 26 के तहत, उसकी पिछली सेवा त्यागपत्र पर जब्त हो जाती है।" इसलिए, एक बार सरकारी कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र दे देता है, तो सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 26 के अनुसार उसकी सेवा जब्त हो जाती है और सरकारी कर्मचारी द्वारा 20 वर्षों तक सेवा करने पर भी वह किसी पेंशन लाभ का अधिकारी नहीं होता है।

(छह) सीसीएस (पेंशन) नियमों, 1972 के नियम 88 जिसमें इस्तीफे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में बदलने की अनुमति दी गई है के तहत शक्तियों का लागू करना भी किसी नियम के अभाव में उचित नहीं है। नियम 88 को तब लागू किया जा सकता है जब यह अनुचित कठिनाई का कारण बनता है जो अप्रत्याशित या अप्रतिबंधित था। यह तथ्य कि त्यागपत्र में पिछली सेवा को जब्त करने की आवश्यकता है, ये एक सरकारी कर्मचारी जब वह सरकारी सेवा से त्यागपत्र देता है, को पता होता है।

(सात) डीओपी एंड टी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले ऐसे ही अन्य मामलों के लिए सहमत नहीं है।

11. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने अपनी टिप्पणियों को समाप्त करते हुए समिति के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि श्री अरविंद सावंत के त्यागपत्र को

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में परिवर्तित करना और इसके समर्थन में किसी नियम/प्रावधानों के अभाव में उसे पेंशन लाभ प्रदान करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

टिप्पणियां/सिफारिशें

भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय

12. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) ने अपनी कार्रवाई के उत्तरों में यह निवेदन किया है कि त्यागपत्र और सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और श्री अरविंद सावंत के त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के रूप में मानने की समिति की सिफारिश पर निर्णय उसी मंत्रलाय द्वारा लेना आवश्यक है। यदि डीओटी/डीओपीटी श्री अरविंद सावंत द्वारा दिए गए त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मानने का निर्णय लेते हैं तो श्री सावंत सीसीएस (पेंशन) नियमों, 1972 के नियम 49 के अनुसार पेंशन प्रदान करने के पात्र होंगे। इसलिए दूरसंचार विभाग को पत्र संख्या 28/02/2017-पीएंडडब्ल्यू (बी) दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से उपरोक्त मामले में डीओपीटी से परामर्श करने की सलाह दी गई थी। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को इस संबंध में दूरसंचार विभाग या डीओपीटी से कोई और पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

13. समिति यह मानने के लिए संतुष्ट नहीं है कि कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) द्वारा व्यक्त की गई स्पष्ट राय के बावजूद इस आशय की बात है कि सेवा से त्यागपत्र और/या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़े सभी मामले डीओपीटी के दायरे में आते हैं और अभिवेदनकर्ता द्वारा दिए गए त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के रूप में मानने का कोई निर्णय उनके मूल विभाग द्वारा लिया जाना है। यानी दूरसंचार विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, किसी भी विभाग द्वारा अभिवेदनकर्ताकी शिकायतों पर जो अब 24 वर्ष के रूप में पुराने हैं कानूनी रूप से तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। समिति इस तथ्य से और भी उलझन में है कि यद्यपि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्मिक मंत्रालय के अधीन सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन विभिन्न जटिल सेवा संबंधी मुद्दों को वांछित स्तर के साथ निर्णय लेने के

लिए मंत्रालय अपने ही विभाग पर दबाव नहीं बना पाया था कि वह अभिवेदनकर्ताके मूल विभाग के साथ संपर्क करे अर्थात दूरसंचार विभाग इस विषय पर प्रासंगिक नियमों/आदेशों/दिशा-निर्देशों के संदर्भ में इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए/ इसलिए समिति एक बार फिर दोहराती है कि उनके द्वारा 31 जनवरी, 1996 को जेटीओ के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के रूप में दिए गए त्यागपत्र पर विचार करने के अभ्यावेदन के अनुरोध पर कार्रवाई की जानी चाहिए और इस विषय पर इस संबंध में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।

<u>एक 'विशेष मामले ' के रूप में पेंशन के अर्हता के लिए पात्र होने के लिए योग्यता सेवा में कमी का दोषमार्जन।</u>

14. समिति ने तत्काल प्रतिनिधित्व की विस्तृत जांच करते हुए यह नोट किया था कि श्री अरविंद सावंत, तत्कालीन जेटीओ, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुंबई (अब माननीय सांसद, लोकसभा) ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था और उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल द्वारा नामित किया गया था। इस विषय पर नियमों और आदेशों की तुलना में विभिन्न निर्धारक कारकों के गहन विश्लेषण के परिणामस्वरूप, याचिका समिति ने अपने चौसठवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोकसभा) में संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) से आग्रह किया था कि वे पेंशन के आहंदे के लिए पात्र होने के लिए अर्हता प्राप्त सेवा में कमी को माफ करने के लिए श्री अरविंद सावंत के अनुरोध पर पुनर्विचार करें और उसे विशेष मामला' मानते हुए पेंशन के आहतर सहित सभी परिणामी लाभों का लाभ उठाने की अनुमति दे, जैसा कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में लागू होता है।

15. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने अपनी की गई कार्रवाई जवाब में दिया, कि दूरसंचार विभाग में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के परामर्श से इस मामले की फिर से जांच की गई। सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 (4) में त्यागपत्र वापस लेने का प्रावधान है, बशर्ते कि जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हो गया और जिस तारीख को व्यक्ति के बीच ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि हो और जिस तारीख को व्यक्ति त्यागपत्रवापस लेने की अनुमति के परिणामस्वरूप ड्यूटी फिर से शुरू करने की अनुमति नब्बे दिनों से अधिक नहीं है। इसके अलावा, DoPT O.M. *नंबर* 28035/2/2007-Estt *(*A) के संदर्भ में दिनांक 04.12-2007 को असाधारण परिस्थितियों में 90 दिनों के बाद भी मामले पर विचार किया जा सकता है यदि समय सीमा सामान्य रूप से अधिक न हो। यह भी कहा गया है कि नियम 26 और डीओपीटी द्वारा त्यागपत्रके लिए जारी किए गए निर्देशों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए दिए गए ' त्यागपत्र' को बदलने का प्रावधान नहीं है।

16. अर्हता सेवा के 20 वर्ष पूरे होने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पहलू पर संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने अपनी कार्रवाई के उत्तरों में यह प्रस्तुत किया है कि सीसीएस (पेंशन) नियमों, 1972 के नियम 48-*ए* के प्रावधानों के अनुसार अर्हता सेवा के 20 वर्ष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले पर विचार के लिए पूर्व-अपेक्षित है। श्री अरविंद सावंत, तत्कालीन जेटीओ, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुंबई के सर्विस बुक/रिकॉर्ड के अनुसार, उनके त्यागपत्रकी प्रभावी तारीख यानी 31.01.1996 को सेवा की लंबाई इस प्रकार है:-

(एक) पूर्व नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि 08.03.1976 से 04.11.1976 - कुल: 07 महीने और 28 दिन (**)।

(दो) सेवा अवधि 01.02.1977 से 31.01.1996 - कुल 19 वर्ष।

[**व्यवधान अर्थात प्रशिक्षण और वास्तविक नियुक्ति के पूरा होने के बीच देरी यानी 05.11.1976 से 31.01.1977 कुल: 02 महीने और 27 दिन माफ़ कर दिया जाता है क्योंकि वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति का था, जिसके परिणामस्वरूप सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 22 के नियम 22 के संदर्भ में अर्हता प्राप्त सेवा के रूप में नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण अवधि की गणना भारत सरकार के निर्णय के साथ पढ़ी गई (निर्णय संख्या 36-14/88-एनबी/टी/पेन, दिनांक 25.06.1990)]। व्यवधान अवधि की गणना के संबंध में नियमों/निर्देशों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है अर्थात प्रशिक्षण और नियुक्ति के पूरा होने की तारीख के बीच की अवधि, भले ही प्रशासनिक विलंब के कारण व्यवधान को माफ कर दिया जाए।

17. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने यह भी कहा है कि व्यवधान अवधि की गणना के संबंध में नियमों/निर्देशों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, अर्थात प्रशिक्षण और नियुक्ति के पूरा होने की तारीख के बीच की अवधि, भले ही प्रशासनिक देरी के कारण व्यवधान को माफ़ कर दिया जाए और, इसलिए, चूंकि श्री अरविंद सावंत की सेवा की अवधि उनके त्यागपत्र (अर्थात 31-01.1996*)* की तारीख को 20 वर्ष से भी कम थी, इसलिए श्री सावंत के नियुक्ति आदेश जारी करने में देरी के कारण हुई रुकावट के बाद भी श्री अरविंद सावंत द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में दिए गए त्यागपत्र को परिवर्तित करना और उन्हें पेंशन लाभ प्रदान करना संभव नहीं है।

18. श्री अरविंद सावंत द्वारा अपने प्रतिनिधित्व में व्यक्त की गई शिकायतों की तुलना में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई की जांच करने के उद्देश्य से, याचिका समिति के समक्ष मंत्रालय द्वारा किए गए स्पष्टीकरण प्रस्तुतियों की सराहना करती है कि 2 महीने और 27 दिनों की अवधि को माफ़ कर दिया गया है क्योंकि यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति का था, जिसे पूर्व नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि की गणना सीसी *(*पेंशन) के नियम 22 के संदर्भ में योग्यता सेवा के रूप में माना जा

सकता है। फिर भी, मंत्रालय ने समिति के समक्ष अपने निवेदन में श्री अरविंद सावंत के त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में परिवर्तित करने और उन्हें पेंशन लाभ प्रदान करने के अनुरोध पर विचार नहीं करने के लिए निम्नलिखित दो पहलुओं को सामने रखा था:-

(एक) नियम 26 और डीओपीटी द्वारा त्यागपत्रपर जारी निर्देशों में ' त्यागपत्र' को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में बदलने का प्रावधान नहीं है; और

(दो) व्यवधान अवधि अर्थात प्रशिक्षण और नियुक्ति के पूरा होने की तिथि के बीच की अवधि की गणना के संबंध में नियम/निर्देशों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

19. संबंधित मंत्रालयों के 17 अगस्त, 2020 को हुए पुनः मौखिक साक्ष्यों के परिणामस्वरूप, संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 सितम्बर, 2020 के माध्यम से समिति के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया है कि इस मामले की नोडल मंत्रालय होने के नाते संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने डीओपीटी के परामर्श से पुन जांच की गई है और श्री अरविंद सावंत के त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में परिवर्तित करना और किसी भी नियम/प्रावधानों के अभाव में उसे पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

20. श्री अरविंद सावंत, संसद सदस्य के अनुरोध को स्वीकार नहीं करने के लिए उपरोक्त निर्धारण कारकों की जांच करते समय, समिति की विचारमान राय है कि मंत्रालय ने माननीय संसद सदस्य द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध पर उनके अभिवेदनमें न तो स्पष्टीकरण दिया था और न ही इस विषय पर मौजूदा नियमों/आदेशों/दिशा-निर्देशों के साथ-साथ ऐसी कोई पूर्वोदाहरण के माध्यम से कोई ठोस तर्क दिया था जिसके आधार पर वे स्वीकार कर सकते हैं/उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सके। इसलिए समिति उचित सावधानी और संक्षिप्तता का प्रयोग

करते हुए फिर से उन तीन केंद्रीय पहलुओं को सामने लाना चाहेगी, जिन्हें माननीय संसद सदस्य श्री अरविंद सावंत ने अपने आरंभिक प्रतिनिधित्व में उठाया था:-

(एक) दूरसंचार विभाग (डीओटी) से उनके त्यागपत्र को' "नॉन एस्ट फैक्टम"" (लैटिन के लिए "यह मेरा विलेख नहीं है") मान कर रद्द कर दिया जाए।

(दो) उनकी सेवा में 1.2.1996 से 7.3.1996 की अवधि के 36 दिनों की कमी की अवधि को डिओटी में लीयन देकर या तो समायोजित किया जा सकता है; या उसे 1.2.1996 से 7.3.1996 के समय को छुट्टी के रूप में दर्शाया जा सकता है।

(तीन) उन्हें 8.3.1996 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

21. इसलिए समिति एक बार फिर महसूस करती है कि श्री अरविंद सावंत के अनुरोध की उपरोक्त तीन पहलुओं पर संबंधित सभी मंत्रालयों द्वारा फिर से जांच की जा सकती है और उसके बाद उनके त्यागपत्र को एक विशेष मामले के रूप में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के रूप में मानने का उचित उपाय किया जा सकता है ताकि वह सभी परिणामी लाभों का लाभ उठा सकें, जिसमें पेंशन की अर्हता सहित जैसा कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में लागू होता है। समिति इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर की गई निर्णायक कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

नई दिल्ली; **डॉ॰ वीरेंद्र कुमार,**
16 सितंबर, 2020 **सभापति,**
25 भाद्रपद, 1942 (शक) **याचिका समिति।**

APPENDIX -I

MINUTES OF THE FIFTH SITTING OF THE COMMITTEE ON PETITIONS (SEVENTEENTH LOK SABHA)

The Committee met on Friday, 7 August, 2020 from 1200 hrs. to 1330 hrs. in Committee Room 'B', Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Dr. Virendra Kumar - Chairperson

MEMBERS

2. Smt. Anupriya Patel
3. Shri Brijendra Singh
4. Shri Sushil Kumar Singh
5. Shri Rajan Vichare

SECRETARIAT

1. Shri Raju Srivastava - Director
2. Shri G. C. Dobhal - Additional Director

WITNESSES

XXX XXX XXX

2. At the outset, the Hon'ble Chairperson welcomed the Members to the sitting of the Committee.

3. XXX XXX XXX XXX

4. XXX XXX XXX XXX

5. XXX XXX XXX XXX

6. The Committee then considered the following draft Reports:-

(i) XXX XXX XXX XXX

(ii) XXX XXX XXX XXX

(iii) Action Taken by the Government on the recommendations made by the Committee on Petitions (Sixteenth Lok Sabha) in their Sixty-Fourth Report on the Representation of Shri Arvind Sawant, M.P., Lok Sabha requesting to review his case of premature resignation from MTNL and other related issues.

7. The Committee after considering the above three draft Reports decided to adopt two draft Reports mentioned at para 6(i) and 6(ii) above without any modifications. However, in respect of the draft Report mentioned at para 6(iii) above, the Committee decided to take further oral evidence of the representatives of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications) and the Ministry of Personnel Public Grievances & Pensions (Department of Pension & Pensioners Welfare and Department of Personnel & Training) on the Action Taken Replies furnished by the Ministries/Departments concerned on the implementation of the recommendations made by the Committee on Petitions (Sixteenth Lok Sabha) in their Sixty-Fourth Report on the Representation of Shri Arvind Sawant, M.P., Lok Sabha requesting to review his case of premature resignation from MTNL and other related issues, in the next sitting of the Committee.

8. XXX XXX XXX XXX

9. A copy of the verbatim record of the proceedings of the sitting of the Committee has been kept on record.

The Committee, then, adjourned.

XXX- Does not pertain to this Report.

APPENDIX-II

MINUTES OF THE SIXTH SITTING OF THE COMMITTEE ON PETITIONS (SEVENTEENTH LOK SABHA)

The Committee met on Monday, 17 August, 2020 from 1200 hrs. to 1300 hrs. in Committee Room 'D', Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Dr. Virendra Kumar - Chairperson

MEMBERS

2. Shri Anto Antony
3. Shri Brijendra Singh
4. Shri Sushil Kumar Singh
5. Shri Rajan Baburao Vichare

SECRETARIAT

2. Shri Raju Srivastava - Director
3. Shri G.C. Dobhal - Additional Director

WITNESSES

MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

1. Shri Bharat Kumar Jog - Member (Services)
2. Shri P.K. Purwar - CMD, MTNL
3. Shri Arvind Kumar Singh - DDG (Personnel)

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS (DEPARTMENT OF PENSION AND PERSIONERS WELFARE) & (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

1. Dr. Kshatrapati Shivaji - Secretary (DoPPW)
2. Ms. Sujata Chaturvedi - Addl. Secretary (DoPT)
3. Ms. G. Jayanti - Joint Secretary (DoPT)

2. At the outset, the Hon'ble Chairperson welcomed the Members to the sitting of the Committee.

[The representatives of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications) and Ministry of Personnel, P.G. and Pensions (Department of Pensions and Pensioners Welfare and Department of Personnel & Training) were ushered in]

3. After welcoming the representatives of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications) and Ministry of Personnel, P.G. and Pensions (Department of Pensions and Pensioners Welfare and Department of Personnel & Training), the Hon'ble Chairperson drew their attention to Direction 55(1) of the Directions by the Speaker, Lok Sabha regarding confidentiality of the proceedings of the Committee.

4. Thereafter, Hon'ble Chairperson, recalled that the Committee on Petitions (16th Lok Sabha) had considered the Representation of Shri Arvind Sawant, M.P., Lok Sabha requesting to review his case of premature resignation from MTNL and other related issues and presented their Sixty-Fourth Report thereon in Lok Sabha on 11 February, 2019. In their earlier Report, the Committee on Petitions (16th Lok Sabha) had urged all the three Ministries, viz., Ministry of Communications (Department of Telecommunications), the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare and the Department of Personnel & Training) to reconsider the case of Shri Arvind Sawant, M.P., Lok Sabha to treat his 'resignation' as 'voluntary retirement' by treating it as a 'Special Case' and allow him to avail all the consequential benefits, including the drawal of Pension, as applicable in the case of an employee who retires from service on attaining the age of superannuation. The Committee had also thrust upon the following three aspects which were raised by Shri Arvind Sawant, Hon'ble Member of Parliament, in his Representation:-

(i) *His resignation from Department of Telecommunications (DoT) be rescinded and vacated as 'Non est factum'(Latin for "it is not [my] deed").*

(ii) The shortfall period of 36 days in service may be adjusted either by giving him lien in the DoT for the period from 1.2.1996 to 7.3.1996; or by treating him on leave as may be due from 1.2.1996 to 7.3.1996.

(iii) He may be allowed to seek Voluntary Retirement, w.e.f., 8.3.1996.

5. The Ministries concerned, in their action taken replies, had not offered any reasonable solution to the recommendations made in their Sixty-Fourth Report on the Representation of Shri Arvind Sawant, M.P., Lok Sabha to review his case of premature resignation from MTNL. Therefore, the representatives of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications) and Ministry of Personnel, P.G. and Pensions (Department of Pensions and Pensioners' Welfare and Department of Personnel & Training) were asked to explain their position before the Committee and to suggest a possible way out so that the Committee could reach on an appropriate decision in the matter.

6. The representatives of the Ministries concerned, reiterated their earlier position as submitted in their Action Taken Replies, and put forth the following points before the Committee:-

(i) Shri Arvind Sawant, M.P. Lok Sabha had tendered his 'resignation' from the post of JTO on 31 January, 1996 on account of his nomination as Member of Legislative Council by

the then Hon'ble Governor of Maharashtra and the same was accepted on 7 February, 1996.

(ii) Rule 26(4) of CCS (Pension) Rules, 1972 contains provision for withdrawal of resignation, provided that the period of absence from duty between the date on which the resignation became effective and the date on which the person is allowed to resume duty as a result of permission to withdraw the resignation is not more than 90 days.

(iii) The resignation could be considered even after 90 days in exceptional circumstances only if the time limit is exceeded marginally.

(iv) There is no specific provision in the Rules/Instructions with regard to counting of interruption period, i.e., the period between the date of completion of training and appointment, however, even after the interruption period of 2 months and 27 day on account of administrative delay is condoned, the length of service of Shri Arvind Sawant was less than 20 years on the date of his resignation (i.e., 31.01.1996).

(v) Rule 26 under the CCS (Pension) Rules, 1972 and the instructions issued by the DoPT on resignation do not provide for converting 'resignation' to 'voluntary retirement'.

7. After hearing the views of the representatives of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications), Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare and Department of Personnel & Training), the Committee expressed their views, as under:-

(i) The mandate of the Committee on the Petitions *inter alia* includes receiving and examination of genuine grievances or representations from employees or ex-employees of Government of India.

(ii) Shri Arvind Sawant, the then JTO, Mahanagar Telephone Nigam Limited, Mumbai *(now Hon'ble Member of Parliament, Lok Sabha)* had not contested any election and was nominated by the Hon'ble Governor of Maharashtra for becoming a Member of Legislative Council. It is a matter of pride for the Department.

(iii) The Ministry had neither given clarification on any of the requests made by the Hon'ble Member of Parliament, in his representation, nor offered any convincing reason by way of co-relating it with the extant Rules/Orders/Guidelines on the subject as well as any precedent on the basis of which they could accede/could not accede to his request.

(iv) Had Shri Sawant been appropriately informed by the Department about the repercussion of his resignation, he would definitely have not opted for it. The Committee, therefore, directed the Ministry of Communications (Department of Telecommunications)

and Ministry of Personnel, P.G. and Pensions (Department of Pensions and Pensioners Welfare and Department of Personnel & Training) to review the entire matter and find out a reasonable solution of the request of Shri Arvind Sawant, M.P. Lok Sabha.

(v) All the three Departments should re-consider the request of Shri Arvind Sawant for condoning the shortfall period in the qualifying service for being eligible for drawal of Pension as a 'Special Case' and allow him to avail all the consequential benefits, including the drawal of Pension, as applicable in the case of an employee who retires from service on attaining the age of superannuation.

8. The Committee also directed the Ministries/Departments to appraise the Committee of their version within a period of 10 days.

[The representatives of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications) and Ministry of Personnel, P.G. and Pensions (Department of Pensions and Pensioners Welfare and Department of Personnel & Training), then, withdrew]

9. XXXX XXXX XXXX

10. A copy of the verbatim record of the proceedings of the sitting of the Committee has been kept.

The Committee, then, adjourned.

XXXX- Does not pertain to this Report.

APPENDIX-IV

MINUTES OF THE EIGHTH SITTING OF THE COMMITTEE ON PETITIONS (SEVENTEENTH LOK SABHA)

The Committee met on Wednesday, 16 September, 2020 from 1100 hrs. to 1200 hrs. in Room No.117, Chairman's Chamber, Parliament House Annexe Extension, New Delhi.

PRESENT

Dr. Virendra Kumar - Chairperson

MEMBERS

2. Shri Harish Dwivedi
3. Shri P. Raveendranath Kumar
4. Shri P. K. Kunhalikutty
5. Dr. Bharati Pravin Pawar
6. Shri Brijendra Singh
7. Shri Prabhubhai Nagarbhai Vasava
8. Shri Rajan Vichare

SECRETARIAT

1. Shri T. G. Chandrasekhar - Joint Secretary
2. Shri Raju Srivastava - Director
3. Shri G. C. Dobhal - Additional Director

2. At the outset, the Hon'ble Chairperson welcomed the Members to the sitting of the Committee.

3. The Committee then considered the following draft Reports:-

(i) *** *** *** ***

(ii) *** *** *** ***

(iii) Action Taken Report on the Action Taken by the Government on the recommendations made by the Committee on Petitions (Sixteenth Lok Sabha) in their Sixty-Fourth Report on the representation of Shri Arvind Sawant, M.P., Lok Sabha requesting to review his case of premature resignation from MTNL and other related issues; and

(iv) *** *** *** ***

4. After discussing the above mentioned Draft Reports in detail, the Committee adopted all the four Action Taken Reports without any modification(s). The Committee also authorised the Chairperson to finalise the Draft Reports and present the same to the House.

The Committee, then, adjourned.

*** Does not pertain to this Report.